आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1	2	3

17.08.2021

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया के ज्ञापांक–88/भू0सु0, दिनांक–01.07.2021 के द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया के विविधवाद संख्या–65/2019 (बेचु उर्फ अवधेश सिंह बनाम समीरा देवी) में पारित आदेश दिनांक–24.04.2021 की प्रति प्रेषित करते हुए आदेशित किया गया है कि "उभय पक्षों को नोटिस देकर, विधिवत नोटिस का तामिला कराते हुए तथा उभय पक्षों को सुनकर वैध कागजातों के आधार पर नियमानुसार सीमांकन संबंधी आदेश पारित करेंगें ताकि सीमांकन से संबंधित भूमि को लेकर किसी भी प्रकार का अनावश्यक विवाद ना हो और शांति तथा विधि व्यवस्था भी संधारित रहे।"

उक्त प्राप्त आदेश के आलोक में उभय पक्षों को पुनः नोटिस के माध्यम से अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।

उभय पक्ष के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने कथन के समर्थन मे कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष (आवेदिका) के द्वारा समर्पित आवेदन एवं संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन के आलोक में ग्राम–ईचाक, थाना न0–211, खाता न0–01, प्लॉट न0–1587, 691, 1212, 1217, 1218, 1219 एवं 176 खाता संख्या–2, प्लॉट न0–1281, 347, 359, 986, 315, 689, 680, 681, 1779 में बिक्री किये गये भूमि को छोडकर शेष भूमि कुल–8.73 एकड की मापी का आदेष निर्गत किया गया था।

द्वितीय पक्ष के द्वारा निम्नांकित कागजात प्रस्तुत किया गया है:–

1. हुकुमनामा (खाता–1 एवं 2 का कुल–02 पृष्ठो में)।
2. लगान रसीद कुल–08 पृष्ठो में।
3. केवाला कुल–05 पृष्ठो में।
4. धारा–145 द0प्र0स0 वाद संख्या–09/2016 में पारित आदेश की प्रति।
5. वंशावली कुल–01 पृष्ठ में।

द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में लगान रसीद तारा कुमारी, पति–फुलचंद सिंह के नाम से निर्गत है जो आवेदिका की दादी सास है। विपक्षी के द्वारा यह भी बताया गया कि प्रश्नगत भूमि आज तक संयुक्त भूमि है अर्थात भूमि का बॅटवारा नही हुआ है।

आवेदिका द्वारा मापी हेतु आवेदित कुल भूमि 8.73 एकड़ से संबंधित सम्पूर्ण कागजात न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया। आवेदिका द्वारा बताया गया कि भूमि से संबंधित सभी कागजात विपक्षी के पास है। आवेदिका द्वारा न्यायालय को अनुरोध किया गया कि विपक्षी को कागजात प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाय। द्वितीय पक्ष भी आवेदिका के द्वारा दावा किये जा रहे भूमि पर अपने स्वामित्व से संबंधित कागजात प्रस्तुत नही कर पाये है। इस प्रकार दोनो पक्ष प्रश्नगत भूमि पर अपने–अपने दावे को साबित करने में असफल रहे है।

उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत कागजातों एवं बहस से स्पष्ट है यह मामला स्वत्ववाद से संबंधित है जिसका निष्पादन राजस्व न्यायालय में संभव नही है।

उक्त के आलोक में उभय पक्षों को मामला सक्षम न्यायालय में ले जाने का आदेश देते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी 17/8/2021

सिमरिया

अंचल अधिकारी, 17/8/2021

सिमरिया।

Digitally signed by GOURAV KUMAR ROY
Date: 2024.12.30 10:49:16 +05:30
Location: 192.168.194.52

Scanned by CamScanner